भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3501
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

महिला शक्ति केन्द्र

3501. श्री विष्णु दत्त शर्मा :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण महिलाओं को विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य में, सशक्त बनाने के लिए महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) को स्थापित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने खजुराहो संसदीय क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो शहर में एमएसके स्थापित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) योजना को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में नवंबर, 2017 में मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2020 में नीति आयोग द्वारा एमएसके योजना का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। मूल्यांकन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और हितधारकों से परामर्श के बाद दिनांक 01.04.2022 से इस योजना को बंद कर दिया गया है।

हालांकि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 01.04.2022 से मध्य प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में 'मिशन शक्ति' नामक अम्ब्रेला योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कार्यकलापों को व्यापक बनाना है। 'मिशन शक्ति' की दो उप-योजना हैं: 'संबल' महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए और 'सामर्थ्य' महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए।

मिशन शक्ति की उप-योजना सामर्थ्य के अंतर्गत एक घटक "महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)" मिशन शक्ति योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण इकाई के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य कर रहा है।

एचईडब्ल्यू केंद्र महिला केंद्रित योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और विधानों से संबंधित जानकारी का प्रसार करने के लिए जागरूकता गतिविधियों, शिविरों और अभियानों के आयोजन के माध्यम से व्यापक पहुंच और जागरूकता प्रसार में भी संलग्न हैं।

एचईडब्ल्यू मध्य प्रदेश राज्य में राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर भी कार्यरत हैं, जिसमें कटनी, पन्ना जिले और खजुराहो संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले शामिल हैं।

****